

आदेश

विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिकों का विवरण एम.आई.एस. पोर्टल शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है एवं पोर्टल पर प्रविष्टि सभी कार्मिकों को यूनिट शाला दर्पण आई.डी. भी जेनरेटेड है जो कि कार्मिक के विभाग में पूर्ण सेवाकाल के दौरान स्थाई रूप से पहचान संख्या के रूप में रहेगी। शासन के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिकों की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर होनी अनिवार्य है।

अतः कार्यालयी कार्य की सुगमता एवं प्रभाविकता के मद्देनजर शासन के आदेशांक: प.17(1)प्रा.शि./2019 पार्ट जयपुर दिनांक: 17 मई, 2019 के क्रम में समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को आदेशित किया जाता है कि विभाग में कार्मिकों के सेवा संबंधी प्राप्त विभिन्न प्रकरणों में प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों में तथा विभाग स्तर से कार्मिकों के संबंध में जारी होने वाले आदेश/निर्देश/परिपत्र/स्वीकृतियों आदि में कार्मिक की शाला दर्पण यूनिट आई.डी. का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे। इसी प्रकार कार्मिक की सेवा अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर एम्प्लॉयी आई.डी. के साथ ही कार्मिक की शाला दर्पण यूनिट आई.डी. का भी उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे।

इसके अलावा विभाग के विद्यालयों/कार्यालयों के पत्राचार में प्रयुक्त लैटर हेड पर भी विद्यालय/कार्यालय की शाला दर्पण यूजर आई.डी. का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे।

समस्त अधीनस्थ कार्यालय स्वयं आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों से भी पालना सुनिश्चित करावें।

निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं

पंचायत राज (प्रा.शि.)विभाग, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/सी/19464/राज.सर.प्रक./2016-17/L-1 दिनांक :- 30/05/19.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 3- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
- 4- निजी अनुभाग, निदेशक, का.हाजा।
- 5- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त।
- 6- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त।
- 7- जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा समस्त।
- 8- पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर।
- 9- समस्त प्राचार्य, डाईट।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी, का.हाजा।
- 11- प्रभारी सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 12- रक्षित पत्रावली।

निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं

पंचायत राज (प्रा.शि.)विभाग, राजस्थान

बीकानेर